http://abcaus.in

पत्र संख्या–आई0टी0–जी0एस0टी0 /2017–18/ 1257 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
(आई0टी0–अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: 03 नवम्बर, 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

प्रदेश में जी0एस0टी0 कियान्वयन के लगभग चार माह पूर्ण होने के उपरान्त भी व्यापारियों को जी0एस0टी0एन0 पोर्टल पर रिटर्न फाइल करने तथा कर का भुगतान करने में आ रही समस्याओं के कारण उनके द्वारा विधिक दायित्वों तथा समय–सीमाओं का अनुपालन करने में कठिनाई आ रही है। फील्ड के अधिकारियों से जो समस्याएं प्राप्त हुयी हैं एवं मुख्यालय स्तर पर व्यापारियों द्वारा जिन समस्याओं को अवगत कराया है वह निम्न है:–

1. जिन व्यापारियों द्वारा माह अक्टूबर में समाधान योजना ली गयी है उनके डैसबोर्ड पर माह जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर के जी0एस0टी0आर0–3बी रिटर्न दाखिल करने का विकल्प उपलब्ध नहीं है जिसके कारण उनके द्वारा जुलाई, अगस्त व सितम्बर का GSTR-3B दाखिल किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।
2. जिन व्यापारियों द्वारा माह अगस्त अथवा सितम्बर में पंजीयन प्राप्त किया गया है किन्तु उन पर कर की देयता दिनांक 01.07.2017 से बनती है उनके लॉगिन पर जुलाई तथा अगस्त माह के जी0एस0टी0आर0 3बी को दाखिल करने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।
3. माह जुलाई के जी0एस0टी0आर0 3बी को संशोधित करने की सुविधा समाप्त हो गयी है तथा माह अगस्त व सितम्बर के जी0एस0टी0आर0 3बी को संशोधित करने की सुविधा वर्तमान में उपलब्ध नहीं करायी गयी है। अतः किसी माह का त्रुटिपूर्ण रिटर्न संशोधित न हो पाने के कारण आगामी माह का रिटर्न दाखिल नहीं हो पा रहा है।
4. व्यापारी को माह अगस्त व सितम्बर जी0एस0टी0आर0 3बी रिटर्न में Liability set off करने से पूर्व रिटर्न संशोधित करने की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है।
5. जी0एस0टी0आर0 1 रिटर्न को फाइल करने के उपरान्त यदि उसके केता व्यापारी द्वारा accept, reject तथा modify करने की कोई भी प्रकिया नहीं की जाती है तो जी0एस0टी0आर0 1 को संशोधित करने की कोई भी सुविधा दाखिल करने वाले व्यापारी के पास उपलब्ध नहीं है।
6. माह अगस्त व सितम्बर के जी0एस0टी0आर0 3बी के सम्बंध में विलम्ब शुल्क को समाप्त कर दिया गया है किन्तु जिन व्यापारियों द्वारा जी0एस0टी0आर0 3बी को मात्र submit कर फाइल नहीं किया गया है उनके लॉगिन पर विलम्ब शुल्क प्रदर्शित हो रहा है।
7. जी0एस0टी0आर0 2ए रिटर्न फाइल करने के उपरान्त सिस्टम में "saving under process" error प्रदर्शित होता है जिसके कारण रिटर्न फाइल करने में काफी विलम्ब हो रहा है।
8. कतिपय व्यापारियों द्वारा जी0एस0टी0 पोर्टल पर चालान जनरेट करने पर Invalid मोबाइल नम्बर का error प्रदर्शित करता है।
9. जिन व्यापारियों द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रोविजनल आई0डी0 पर माइग्रेट करते हुए व्यापार भी कर लिया गया है तथा अपेक्षित रिटर्न भी फाइल कर दिये गये हैं, उन व्यापारियों को सही प्रोविजनल आई0डी0 प्राप्त होने पर पूर्व में त्रुटिपूर्ण प्रोविजनल आई0डी0 पर किये गये सम्व्यवहारों को सही प्रोविजनल आई0डी0 से लिंक करने का कोई भी विकल्प उपलब्ध नहीं है।
10. जिन व्यापारियों द्वारा CBEC की सलाह मानते हुए माइग्रेशन में होने वाली समस्या के कारण नया पंजीयन ले लिया है उनके पूर्ववर्ती माहों के रिटर्न में दाखिल नहीं हो रहे हैं तथा TRANS-01 दाखिल करने की सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

http://abcaus.in

11. Non core field amendment के case में जब व्यापारी डिजिटल सिग्नेचर सार्टिफिकेट से जब वेरीफाई करता है तो सिस्टम द्वारा system error प्रदर्शित होता है।
12. जिन व्यापारियों द्वारा 01 जुलाई से कम्पोजीशन का विकल्प लिया गया था, उनमें से कतिपय व्यापारियों के लॉगिन पर वर्तमान तिथि में Regular Taxpayer प्रदर्शित हो रहा है तथा रिटर्न फाइल करने की Frequency भी मासिक प्रदर्शित हो रही है।
13. वर्तमान तिथि तक पंजीयन निरस्तीकरण का विकल्प व्यापारियों की लॉगिन पर उपलब्ध नहीं कराया गया है जिसके कारण ऐसे व्यापारी जो कि threshold limit के नीचे हैं उनके द्वारा पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

2— उक्त के सन्दर्भ में अनुरोध है कि उपरोक्त समस्यायें जिन व्यापारियों द्वारा बतायी जाती हैं अथवा उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई समस्या बतायी जाती है तो उसका विवरण निम्नलिखित प्रारूप में excel file में ई—मेल आई0डी0 Info.up.gst@gmail.com पर प्रत्येक दशा में दिनांक 07.11.2017 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि दिनांक 09.11.2017 को प्रस्तावित जी0एस0टी0 काउंसिल की बैठक में उपरोक्त समस्याओं को निराकरण हेतु रखा जा सके:—

कम संख्या	**टिन**	**फर्म का नाम**	**समस्या**

प्रश्नगत सूचना व्यक्तिगत ध्यान देकर निर्धारित समयावधि में प्रेषित करने का कष्ट करें।

(विवेक कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (जी0एस0टी0)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।